डाक द्वारा मतदान

यदि पंजीकृत मतदाता मेल द्वारा मतदान कर रहे हैं, तो उन्हें पहचान पत्र प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है। डाक द्वारा मतदान करते समय अपने मतदाता पंजीकरण को पंजीकृत या अद्यतन करने वाले मतदाताओं को स्वीकार्य पहचान पत्र की प्रतियां प्रदान करनी होंगी।

यदि किसी मतदाता के पास स्वीकार्य पहचान पत्र नहीं है, तो उनके पास उनकी गवाही के लिए कोई व्यक्ति होना चाहिए। गवाही की औपचारिक घोषणा चुनाव अधिकारी, बैरिस्टर या सॉलिसिटर, या शपथ पत्र लेने के लिए अधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष की जानी चाहिए।

मतदान के लिए अपना पहचान पत्र तैयार रखें

अधिक जानकारी के लिए इलेक्शंस बी.सी. से संपर्क करें

टोल-फ्री: 1-800-661-8683
(उत्तरी अमेरिका में)
टीटीवाई: 1-888-456-5448

डाक पता:
PO Box 9275 Stn Prov Govt
Victoria, BC V8W 9J6

फोन: 250-387-5305
फैक्स: 250-387-3578
टोल-फ्री फैक्स: 1-866-466-0665

ईमेल: electionsbc@elections.bc.ca
वेबसाइट: elections.bc.ca

इस कोड को स्कैन करें या ऑनलाइन पंजीकरण करने के लिए elections.bc.ca/register पर जाएं।

ELECTIONS BC
A non-partisan Office of the Legislature

मतदाता पहचान पत्र

मतदान करने के लिए अपनी पहचान और पता कैसे साबित करें।

ELECTIONS BC
A non-partisan Office of the Legislature

प्रांतीय चुनावों के लिए मतदाता पहचान पत्र

कौन मतदान कर सकता है?

बी.सी. में प्रांतीय चुनाव में मतदान करने के लिए, आपको होना चाहिए:

- कैनेडियन नागरिक,
- अंतिम मतदान दिवस पर 18 वर्ष या उससे अधिक आयु, और
- पिछले छह महीनों से बी.सी. में निवास।

मतदाता पहचान

सभी मतदाताओं को मतदान से पहले अपनी पहचान और आवासीय पते का प्रमाण देना होगा। ऐसा करने के तीन तरीके हैं।

विकल्प 1: इन तीन पहचान पत्र में से कोई **एक** दिखाएं:

- बी.सी. ड्राइविंग लाइसेंस (बी.सी.डी.एल.)
- बी.सी. सर्विसेज कार्ड (बी.सी.एस.सी.) (फोटो के साथ)
- बी.सी. पहचान पत्र (बी.सी.आई.डी.)
- बी.सी. या कैनेडा सरकार द्वारा जारी एक और कार्ड जो आपका नाम, फोटो और पता दिखाता हो
- सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन स्टेटस

विकल्प 2: कोई भी ऐसे **दो** पहचान पत्र या दस्तावेज दिखाएं जिनमें आपका नाम प्रदर्शित किया गया हो। कम से कम एक में आपका वर्तमान पता होना चाहिए। उदाहरणों में शामिल हैं:

सरकार द्वारा जारी पहचान दस्तावेज
(जैसे बी.सी. केयरकार्ड, बी.सी. सर्विसेज कार्ड (बी.सी.एस.सी.) (फोटो के बिना), जन्म प्रमाण पत्र, सोशल इन्श्योरेंस नंबर कार्ड, पासपोर्ट, नागरिकता दस्तावेज/ प्रमाण पत्र, बी.सी. फर्स्ट नेशन्स गवर्निंग बॉडी द्वारा जारी नागरिकता या सदस्यता कार्ड, मेटिस नेशन बी.सी. नागरिकता कार्ड)

सरकार द्वारा जारी अन्य दस्तावेज
(जैसे संपत्ति कर मूल्यांकन, आयकर मूल्यांकन नोटिस, सरकारी चेक)

स्कूल/कॉलेज/ विश्वविद्यालय दस्तावेज
(जैसे प्रवेश पत्र, रिपोर्ट कार्ड, ट्रांसक्रिप्ट, निवास स्वीकृति, ट्यूशन/ फीस स्टेटमेंट, स्टूडेंट कार्ड)

अन्य दस्तावेज

- बैंक/क्रेडिट कार्ड या स्टेटमेंट
- निवास की पुष्टि
- अस्पताल ब्रेसलेट/दस्तावेज
- बीमा विवरण
- सदस्यता कार्ड
- मॉरगेज विवरण
- व्यक्तिगत चेक (बैंक द्वारा मुद्रित)
- प्रेस्क्रिप्शन दवा कंटेनर
- प्रांतीय व्हेयर टू वोट कार्ड
- सार्वजनिक परिवहन पास
- आवासीय लीज
- वैधानिक घोषणा
- सार्वजनिक सेवा बिल

अन्य दस्तावेज **elections.bc.ca/id** पर सूचीबद्ध हैं ।

विकल्प 3: गवाही

बिना आवश्यक पहचान वाले मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल होने और मतदान करने के लिए प्रमाणित किया जा सकता है।

इसके लिए दी जाने वाली गवाही में आवश्यक पहचान दस्तावेज अवश्य होने चाहिए और ये होने चाहिए:

- मतदाता के निर्वाचन जिले में पंजीकृत मतदाता निवासी या
- जीवनसाथी, माता-पिता, दादा-दादी, या वयस्क बच्चे, पोते या मतदाता के भाई-बहन, या
- मतदाता के लिए व्यक्तिगत देखभाल संबंधी निर्णय लेने का कानूनी अधिकार रखने वाला व्यक्ति।

गवाही देने वाले को अपना पहचान पत्र प्रदान करना होगा। मतदाता और गवाह दोनों को मतदाता की पहचान और आवासीय पते की पुष्टि करने के लिए एक औपचारिक घोषणा करनी होगी।

गवाह देने वाला व्यक्ति, जो मतदाता का रिश्तेदार या व्यक्तिगत देखभाल के लिए जिम्मेदार नहीं है, केवल एक मतदाता के लिए गवाही दे सकता है। रिश्तेदार किसी भी ऐसे मतदाता के लिए गवाही दे सकता है जो उनके परिवार के सदस्य हैं। व्यक्तिगत देखभाल के लिए जिम्मेदार व्यक्ति उन सभी मतदाताओं के लिए गवाही दे सकता है जिनके लिए उन्होंने लिखित जिम्मेदारी ले रखी है।

जिस मतदाता के लिए किसी अन्य व्यक्ति ने गवाही दी है, वह मतदाता किसी अन्य व्यक्ति के लिए उसी चुनाव में गवाही नहीं दे सकता।